शक्ति (SHAKTI) नीति

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने **शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन योजना/ Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India/SHAKTI) नीति के B(v)** के तहत **वित्त, स्वामित्व और संचालन (Finance, Own and Operate-FOO)** के आधार पर पाँच साल के लिये प्रतिस्पर्द्धी आधार पर **4500 मेगावाट की कुल विद्युत की खरीद हेतु** एक योजना शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- योजना के तहत PFC कंसल्टिंग लिमिटेड ने **4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिये बोलियाँ** आमंत्रित की हैं।
  - PFC कंसल्टिंग लिमिटेड (PFC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को **विद्युत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।**
- कोयला मंत्रालय से इसके लिये लगभग 27 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) आवंटित करने का अनुरोध किया है।
- इस योजना से विद्युत की कमी का सामना कर रहे राज्यों को मदद मिलने की उम्मीद है और **इससे उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।**

शक्ति नीति:

- **परिचय:**
  - **विद्युत मंत्रालय (MoP)** ने 2017 में कोल नीति को मंज़ूरी दी, **जिसे शक्ति (भारत में कोयला का दोहन और आवंटन पारदर्शी रूप से दोहन और आवंटन करने की योजना)** के रूप में जाना जाता है।
  - इस नीति में उन विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान किये गए हैं जिनके पास कोयला नीलामी के माध्यम से **ईंधन आपूर्ति करारों (FSA) की कमी है।**
- **उद्देश्य:**
  - शक्ति योजना का उद्देश्य भारत में सभी **थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जो पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण हो।**
  - यह योजना न केवल बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के लिये, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु भी फायदेमंद मानी जाती है, जिनके पास विद्युत कंपनियों द्वारा भारी ऋण चुकाया नहीं गया है।
  - इस योजना का उद्देश्य **आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना भी है।**

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/shakti-policy